बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 6

खुशामदीद ट्रेन 18

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 15 फरवरी को बिना इंजन के चलने वाली ट्रेन 18 को हरी झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से पुकारी जाने वाली यह ट्रेन भारतीय रेल की एक बड़ी उपलब्धि है। करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से बनी ट्रेन 18 (यह नाम इसके निर्माण के वर्ष यानी 2018 की याद दिलाता है) में स्वचालित अर्द्ध उच्च गति वाली ट्रेन है और इसे मेक इन इंडिया अभियान के तहत चेन्नई की इंटिग्रल कोच फैक्टरी में बनाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह ट्रेन महज 18 महीने में बनी और इसके 80 फीसदी कलपुर्जे देश में ही खरीदे गए हैं। ट्रेन 18 में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे सबसे उन्नत और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन (180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार) बनाती हैं। उदाहरण के लिए इस ट्रेन में घूमने वाली सीट लगी हैं जो यात्रा की दिशा के मुताबिक परिवर्तित की जा सकती हैं। इसमें वैक्यूम वाले शौचालय लगाए गए हैं, सामान रखने के रैक भी मॉड्यूलर हैं और उनका निचला तल कांच का है।

ट्रेन में आपातकालीन संपर्क के लिए टॉकबैक यूनिट, सीसीटीवी और डिजिटल तरीके से स्लाइड होने वाले दरवाजे लगे हैं। सुविधाओं की बात करें तो ट्रेन में वाई-फाई है, जीपीएस आधारित सूचना प्रदान करने वाली स्क्रीन हैं, एक्जीक्यूटिव क्लास में एलसीडी टीवी और बेहतरीन वातानुकूलक लगे हैं। ट्रेन 18 के आगमन से रेलवे का आत्मविश्वास मजबूत होगा क्योंकि उसका लक्ष्य आने वाले दिनों में देश में रेल यात्रा की दशा सुधारने का है।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने पहले ही 130 और ऐसी ट्रेन बनाने का लक्ष्य तय कर दिया है। इस तरह की दूसरी ट्रेन मार्च में दस्तक देगी और अगले वित्त वर्ष में करीब 10 नई ट्रेन आ जाएंगी। माना जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पुरानी हो रही शताब्दी एक्सप्रेस का स्थान लेगी, वहीं योजना यह भी है कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन 18 का शयनयान वाला संस्करण प्रस्तुत किया जाए। वर्ष 2019 के आखिर तक तैयार होने वाला यह संस्करण समय बीतने के साथ राजधानी एक्सप्रेस की जगह लेगा।

ये तमाम बातें बहुत भरोसा पैदा करने वाली हैं और भारतीय रेल को इनका पूरा श्रेय भी मिलना चाहिए। परंतु इस बीच नीति निर्माताओं का ध्यान रेलवे की कुछ ढांचागत कमजोरियों पर से भी नहीं हटना चाहिए। यहां तक कि उन वजहों के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए शुरुआती कुछ फेरों में ही ट्रेन को कुछ दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ा है। एक बार ट्रेन एक आवारा पशु से टकराई तो एक अन्य अवसर पर एक बेकाबू वाहन चालक चपेट में आ गया। जाहिर है ट्रेन अपनी तयशुदा अनुमानित रफ्तार से काफी धीमे चली। पटरियों पर भीड़भाड़ भी एक समस्या है। पटरियों के नवीनीकरण की प्रक्रिया काफी धीमी है, इसलिए कुछ रास्तों का 150 फीसदी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अकेले चालू वर्ष में नई पटरियां बिछाने का काम तय लक्ष्य से केवल 21 फीसदी तक ही हो सका। नवंबर तक पटरियों को दोहरा करने और गेज बदलने का काम भी लक्ष्य से 46 और 21 फीसदी तक ही पूरा हो सका।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने में हो रही देरी के कारण ये कमियां और उभरकर आ रही हैं। जब तक मालवाहक ट्रेनों को यात्री ट्रेनों के मार्ग से अलग नहीं किया जाएगा तब तक ट्रेन 18 जैसी तेज गति से चलने वाली ट्रेनें अपनी वास्तविक रफ्तार से नहीं चल पाएंगी। एक अन्य क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है उपनगरीय रेलवे का विकास।

अजय मोहंती

प्रहसन ही बनती रही है सार्वभौम आय योजना

सभी नागरिकों के लिए एक वास्तविक बुनियादी आय योजना होना आश्चर्यजनक होगा। लेकिन अभी तक तो हमें इस मसले पर प्रहसन ही देखने को मिले हैं। बता रहे हैं **विजय जोशी**

सार्वभौम बुनियादी आय (यूबीआई) का मुद्दा भारत के सार्वजनिक विमर्श एवं राजनीतिक बहस में दाखिल हो चुका है। विभिन्न योजनाओं में इस शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। तेलंगाना की रैयत बंधु योजना, मोदी सरकार के हालिया अंतरिम बजट में छोटे किसानों के लिए मदद की घोषणा और राहुल गांधी का सरकार में आने पर सभी गरीबों की आय सुनिश्चित करने का वादा, इन सभी में यूबीआई का प्रावधान है। मैंने अपनी किताब (इंडियाज लॉन्ग रोड, पेंग्विन इंडिया, 2016) में सार्वभौम आय योजना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा इंडियन जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट (2017) में प्रकाशित अपने लेख में भी इस पर अपनी राय रखी थी। इस तरह एक तरह का संतुष्टि भाव रखने के लिए मुझे माफ किया जा सकता था लेकिन मेरी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं रही है। 'बुनियादी आय' के नाम पर सामने आ रही योजनाओं को देखकर तो मैं स्तंभित होने की हद तक निराश हूं।

बुनियादी आय की विशुद्ध अवधारणा देश के हरेक नागरिक को सम्मानजनक जीवन के लिए एक शर्त-रहित एवं सार्वभौम नकद हस्तांतरण का प्रावधान करती है। 'अच्छी आय' की मात्रा तय करने का काम काफी लचीला है, लिहाजा व्यावहारिक स्तर पर इस आदर्श को वित्तीय संदर्भ में हासिल कर पाना नामुमकिन है और इस अवधारणा में थोड़ी काटछांट करना अपरिहार्य है।

मेरे हिसाब से, भारत में यूबीआई योजना के लिए नकद हस्तांतरण का प्रावधान तेंडुलकर गरीबी रेखा (टीपीएल) और भारत की गरीब जनसंख्या की औसत आय में अंतर के बराबर रखने की बात कही गई थी। जिसे जीवनयापन की लागत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह फासला टीपीएल का करीब 25 फीसदी यानी प्रति व्यक्ति 3,500 रुपये के बराबर है। वर्ष 2019-20 की कीमतों के आधार पर यह फासला प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये और प्रति परिवार 20,000 रुपये प्रति वर्ष बैठता है। हस्तांतरित होने वाली यह राशि अधिक नहीं है लेकिन गरीबों की जिंदगी में सार्थक अंतर पैदा करने के लिए यह काफी है। मैंने इस तरह की 'यूबीआई पूरक' योजना के लिए उर्वरक सब्सिडी जैसी गैर-योग्यता कीमत सब्सिडी को खत्म कर संसाधन बढ़ाने की वकालत की थी। ऐसी सब्सिडी जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने के मामले में निष्प्रभावी साबित हुई हैं। मैंने दिखाया कि इस स्तर पर सार्वभौम बुनियादी आय योजना (यूबीआईएस) लागू करने में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 फीसदी से अधिक लागत नहीं आएगी। ध्यान रखें कि गैर-योग्यता वाली सब्सिडी (जीडीपी की 5.5 फीसदी) का उन्मूलन राजकोषीय स्थान बनाने का केवल एक संभावित स्रोत है। संसाधन दूसरे तरीकों से भी जुटाए जा सकते हैं। मसलन, काफी हद तक अक्षम हो चुके कुछ सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर कुछ वर्षों तक सालाना जीडीपी की एक फीसदी रकम जुटाई जा सकती है। इसी तरह अनावश्यक कर रियायतों के खात्मे से जीडीपी की 1.5 फीसदी राशि मिल सकती है। एक सीमा से अधिक कृषि आय पर भी कर लगाकर 0.5 फीसदी जीडीपी जुटाई जा सकती है। गलत तरीके से लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने से भी जीडीपी की 1.5 फीसदी राशि मिल सकती है। जीडीपी की 10 फीसदी राशि की संभावना तैयार होने के बाद 3.5 फीसदी जीडीपी व्यय वाली एक सार्वभौम बुनियादी आय योजना लागू की जा सकती है।

इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक व्यय को भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी राशि का इस्तेमाल समेकित राजकोषीय घाटे को कम करने में किया जा सकता है। इस तरह एक सार्वभौम आय योजना अगले कुछ वर्षों में हासिल किए जा सकने लायक एक सुसंगत सुधार कार्यक्रम में फिट बैठ सकती है जिसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें आंशिक रूप से वित्त मुहैया कराएंगी।

इस तरह एक सुसंगत सुधार रणनीति के अंग के तौर पर सार्वभौम एवं बिना-शर्त बुनियादी आय पूरक योजना व्यवहार्य होगी। इसके साथ ही अक्सर दोहराया जाने वाला वह एतराज भी गलत है कि दूसरे बड़े लक्ष्यों को तिलांजलि देकर ही इसे लागू किया जा सकता है। सार्वभौमिकता को त्याग कर और दो-तिहाई जनसंख्या तक इस योजना का दायरा सीमित कर राजकोषीय लागत में आगे और कमी लाई जा सकती है। बाकी एक-तिहाई आबादी को अपेक्षाकृत साधन-संपन्न माना जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में सही व्यक्ति की पहचान की समस्या खड़ी होगी लेकिन आयकर, पांच एकड़ से अधिक जमीन का स्वामित्व और कार या मोटरसाइकिल जैसी महंगी उपभोक्ता वस्तुओं की मौजूदगी जैसे मानकों के आधार पर ऐसा किया जा सकता है। इस तरह की आंशिक सार्वभौम आय योजना लागू करने पर जीडीपी का 2.3 फीसदी खर्च ही आएगा। लेकिन कवरेज में आगे और कटौती से परहेज किया जाना चाहिए क्योंकि इससे लाभार्थियों की पहचान की बड़ी समस्या खड़ी होने के साथ ही सार्वभौम आय योजना का मूल मकसद ही धराशायी हो जाएगा।

हाल के समय में सुर्खियां बनने वालीं बुनियादी आय योजनाएं कवरेज और राजकोषीय निहितार्थ के संदर्भ में वास्तविक लक्ष्यों से दूर ही रही हैं। रैयत बंधु और कलिया योजनाओं में कवरेज सीमित है और कई ग्रामीण एवं शहरी गरीबों को उससे बाहर रखा गया है। मोदी सरकार की तरफ से घोषित योजना पर भी यही बात लागू होती है। इसके अलावा इसकी आय समर्थन योजना का स्तर इतना कम रखा गया है कि उससे कोई सार्थक फर्क पैदा हो पाना मुश्किल है। राजकोषीय नजरिये से मोदी सरकार की यह योजना न तो सब्सिडी पर हमला करती है और न ही वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संसाधन जुटाने में ही कोई योगदान देती है। इस वजह से मोदी सरकार की यह योजना एक सुसंगत रणनीति का हिस्सा नहीं है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत में शुरू की गई हालिया आय समर्थन योजनाएं अपने मकसद पर खरी नहीं उतरती हैं। वे तो महज लोक-लुभावन प्रयास हैं।

वहीं राहुल गांधी की प्रस्तावित आय योजना के बारे में कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। बदकिस्मती से, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों का कर्ज माफ करने का भी प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया जिससे बड़ी नैतिक समस्या भी खड़ी हो सकती है। अगर कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कर्ज माफी की योजना लाने का प्रस्ताव नहीं शामिल करती है और एक दो-तिहाई आबादी को कवर करने वाली सार्वभौम बुनियादी आय योजना का खाका पेश करती है तो अच्छा होगा। इस योजना के लिए धन का इंतजाम सक्षमता, वृद्धि एवं समतामूलक ढंग से जुटाई जाने वाली राशि से होगा।

भारत के लिए सही मायने में एक बुनियादी आय योजना का क्रियान्वयन आश्चर्यजनक होगा। हालांकि अभी तक तो इस विचार के नाम पर प्रहसन ही देखने को मिले हैं।

(लेखक मर्टन कॉलेज, ऑक्सफर्ड के एमेरिटस फेलो हैं)

विवादित मामलों की सुस्त सुनवाई से नहीं मिल रहे चुनावी मुद्दे

अदालती आईना

एम जे एंटनी

इस बार अदालत ने विवादास्पद मसलों को आंखों से ओझल कर दिया है। न्यायपालिका राजनेताओं को आगामी चुनावों के लिए ऐसा कोई तोहफा नहीं दे रही है, इसलिए उनके हाथ मलते रह जाने के आसार हैं।

आम तौर पर न्यायपालिका राजनीतिक सवालों से दूर रहती है, लेकिन उसके फैसले और यहां तक कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत नजरियों (पिंजरे में बंद तोता) का भी राष्ट्रीय चुनावों पर गहरा असर पड़ता है। उच्चतम न्यायालय का 1990 के दशक में हवाला डायरी और मंडल-मस्जिद जैसे मुद्दों में हस्तक्षेप का तत्कालीन सरकारों पर बड़ा असर पड़ा था। इसने सत्तारूढ़ दलों को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जो उन्हें विभिन्न मंचों से 100 भाषणों से भी नहीं होता। अदालत के 2जी स्पेक्ट्रम, कोयला ब्लॉक आवंटन और राष्ट्रमंडल खेल जैसे घोटालों में फैसलों के चलते ही वर्ष 2014 में कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा।

हालांकि इस बार अदालत ने विवादास्पद मसलों को आंखों से ओझल कर दिया है। न्यायपालिका राजनेताओं को आगामी चुनावों के लिए ऐसा कोई तोहफा नहीं दे रही है, इसलिए उनके हाथ मलते रह जाने के आसार हैं। मंडल-मस्जिद जैसे विवादास्पद मुद्दे अब भी ज्वलंत हैं, राफेल फैसले की समीक्षा लंबित है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की भूमिका तात्कालिक चिंताएं नहीं हैं। हालांकि सरकार तेज रफ्तार से काम कर रही है और मतदाताओं पर लाभों की बारिश कर रही है, लेकिन यह साफ नजर आ रहा है कि अदालत ने विवादास्पद मुद्दों को किनारे कर दिया है। यह देरी गैर-इरादतन है या अदालत की सोची-समझी रणनीति है, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है।

पिछले मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने पिछले साल अयोध्या मामले से जुड़ी याचिकाओं को उनकी बारी से पहले सुनने में तेजी दिखाई थी। उसके बाद वह सेवानिवृत्त हो गए और नए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 'मास्टर ऑफ रोस्टर यानी पीठ नियुक्त करने के कर्ताधर्ता' बन गए। लेकिन दुर्भाग्य से संविधान पीठों के सदस्य लगातार बदलते रहे हैं। सबसे पहले मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में काम करते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने गए न्यायाधीशों को लेकर विवाद खड़ा हो गया क्योंकि पीठ में पहले इस मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को बाहर रख दिया गया था। यह परंपरा के खिलाफ था। इसके बाद जब इस गलती को सुधारा गया तो नए पीठ से एक न्यायाधीश को बाहर करना पड़ा क्योंकि वह पहले इस मामले में कल्याण सिंह के वकील रह चुके थे। कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब ढांचे को ढहाया गया था। एक नए पीठ का गठन किया गया, लेकिन एक न्यायाधीश किन्हीं अघोषित कारणों से 'अनुपलब्ध' थे। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होनी है, लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि सब कुछ ठीक रहता है।

अगर पीठ का गठन अंतिम है तो भी फैसला किसी दैवीय चमत्कार के बिना बहुत जल्द नहीं आ सकता। न्यायाधीशों को 88 गवाहों के बयानों, 13,886 पृष्ठों, 257 संबंधित दस्तावेज एवं वीडियो टेप और अदालत के पहले के आदेशों से गुजरना होगा। अदालत के पहले के आदेशों के 4,304 मुद्रित पृष्ठ और 8,533 टंकित पृष्ठ हैं। पारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं के हजारों पृष्ठों का सावधानीपूर्वक अनुवाद करना होगा। न्यायाधीशों को करीब 14 पक्षों और सरकारों के वकीलों की सुनवाई करनी होगी। न्यायिक प्रक्रिया की सामान्य रफ्तार को देखते हुए फैसला आने में महीनों लग सकते हैं। लोग ऐसी स्थिति के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के बजाय इस बात से खुश होंगे कि वे उस हो-हल्ले और हंगामे से बचे हुए हैं, जो जल्दबाजी में फैसले से पैदा हो सकता है।

एक अन्य चुनावी मुद्दा राफेल सौदा है, लेकिन अदालत ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इस विवादास्पद फैसले की बहुत जल्द समीक्षा होने के आसार नहीं हैं। सरकार उच्चतम न्यायालय गई है और उसने कहा है कि उन दस्तावेजों की शब्दावली को समझने में न्यायिक गलती हुई है, जो उसने न्यायाधीशों को सीलबंद लिफाफे में सौंपे थे। इस बीच बहुत से नए तथ्य सार्वजनिक हुए हैं। अदालत में एक याचिका 'रिकॉर्ड में गलतियों' को ठीक करने और नए तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर की गई है।

एक छिपा हुआ विवाद अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। वर्ष 1992 के मंडल फैसले को अदालत द्वारा कई बार बदला गया है और राज्य सरकारों ने संविधान में निहित आरक्षण की मूल भावना को लगातार कमजोर किया है। ताजा संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए चुनौती दी गई है। लेकिन अंतिम फैसला ऐसे समय नहीं आएगा, जब राजनेता एक-दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) को लेकर एक अन्य संवेदनशील विवाद भी लंबित है। अदालत द्वारा सुने जाने वाले अन्य ज्वलंत मुद्दों में एनआरसी को अंतिम रूप देना, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370, सबरीमाला मंदिर में युवा महिलाओं का प्रवेश और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) का दर्जा आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों के फैसलों में देरी से चुनाव प्रचारकों को मुद्दे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जनता शोर-शराबे वाली बहस से काफी हद तक बची हुई है।

कानाफूसी

नितिन गडकरी पर फिल्म

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनने वाली फिल्म के पोस्टर ने भले ही सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है लेकिन पिछले सप्ताह एक और दिलचस्प फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ। यह फिल्म केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बन रही है। 12 फरवरी को यूट्यूब पर जारी होने के बाद से अबतक इसे करीब डेढ़ लाख लोग देख चुके हैं। यूट्यूब पर फिल्म के परिचय में लिखा है,'केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी के साहस, बुद्धिमता और अनकहे सच की पूरी दास्तान। एक व्यक्ति के आरएसएस स्वयंसेवक से राजनेता बनने की कहानी।' दावा तो यह भी किया गया है कि यह नागपुर की पहली क्राउड फंडिंग वाली फिल्म है। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है और गडकरी का घर भी।

बिना किसी देरी के...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों नई दिल्ली में वह कार्यक्रम 'अपनी बात राहुल के साथ' के अंतर्गत कुछ कारोबारियों से चर्चा कर रहे थे। इस मुलाकात के दौरान इंदौर के एक छोटे कारोबारी ने उन्हें सुझाव दिया कि उनकी पार्टी को मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। उसने उन्हें बताया कि प्रदेश में यह उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जाता है और इसमें बड़ी तादाद में रोजगार पैदा करने की क्षमता भी है। व्यापारी की बातें ध्यान से सुनने के बाद राहुल ने तत्काल अपना मोबाइल निकालकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को फोन लगा दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए दोनों के बीच मुलाकात भी तय करा दी।

आपका पक्ष

क्या चुनावी स्टंट है पूर्ण राज्य का दर्जा

देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाली मांग एक चुनावी स्टंट लगता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मामला अदालत में गया था लेकिन संविधान के अनुसार ऐसा करना शायद ही संभव हो। देश में सात केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें दिल्ली भी शामिल है। केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन केंद्र सरकार करती है। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा भी है जिसमें राजधानी दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। लेकिन सत्ता में रहते हुए करीब चार वर्ष हो गए अब तक इस पर कोई बात नहीं बन सकी। वहीं भाजपा ने भी पूर्व में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के समर्थन में बात कही थी। राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि

दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रहते हैं। यहां संसद है तथा संसद सत्र के दौरान सांसदों और मंत्रियों की सुरक्षा राज्य पुलिस नहीं कर सकती है। दिल्ली सरकार तथा केंद्र सरकार के बीच शक्तियां बंटी हुई हैं। इन्ही शक्तियों को लेकर कई बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति

दिल्ली सरकार तथा केंद्र के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर कई बार टकराव हो चुका है

उत्पन्न हो गई थी। यह मामला अदालत भी गया था और अदालत ने केंद्र तथा दिल्ली सरकार की शक्तियों का उन्हें दोबारा अवगत कराया। लोकसभा चुनाव करीब हैं तथा राजनीतिक दल फिर इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से आम जनता को सीधे तौर पर इसका क्या फायदा मिलेगा यह कहना मुश्किल है लेकिन राजनीतिक दल अथवा जिसकी भी सरकार बनेगी उसे फायदा जरूर मिलेगा। बहरहाल दिल्ली में पुलिस केंद्र के हाथों में है जिससे दिल्ली में कानून का पालन होता है। राज्य पुलिस का कार्य तथा रवैया किसी से छुपा नहीं है। अत: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग के बजाय दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकबोर्ड

वर्तमान परिदृश्य आधुनिकीकरण का है तथा हर चीज डिजिटल होती जा रही है। आज तकनीक बढ़ने से हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गया है। इंटरनेट के जरिये आज बच्चा गेम खेल रहा है। ऐसे में सरकार भी स्कूल शिक्षा को आधुनिक करने की दिशा में प्रयास कर रही है। सरकार पहले आकाश टैबलेट लाई थी जो काफी सस्ता था। अब सरकार स्कूलों तथा कॉलेजों में डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रही है। सभी स्कूलों तथा कॉलेजों में डिजिटल ब्लैकबोर्ड लगाए जाएंगे। सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए तीन साल का समय निर्धारित किया है। स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक डिजिटल ब्लैकबोर्ड लगाया जाएगा। इस योजना में सरकार ने करीब 10 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया है। क्लास के डिजिटल होने से छात्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी तथा उन्हें रोजगार पाने में आसानी होगी।

किशोर कुमार, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।